रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 200] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 1974/श्रावण 7, 1896

No. 200] NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 1974/SRAVANA 7, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th July 1974

G.S.R. 338(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Government Savings Certificates Rules, 1965, namely:—

1. These rules may be called the Government Savings Certificates (Second Amendment) Rules, 1974.

2. In rule 26 of the Government Savings Certificates Rules, 1965 (hereinafter referred to as the said rules), for sub-rule (2) to (4), the following sub-rules shall respectively be substituted, namely:—

"(2) (a) The amounts (including interest) payable on discharge of 7-Year National Savings Certificates (II-Issue)—Bank Series of different

denominations issued on or after the 23rd July, 1974 shall be as in the following Table, namely:—

TABLE

Surrender values of 7-Year National Savings Certificates (II-Issue) Bank Series

Face Value	Rs. 10	Rs. 50	Rs. 100	Rs. 500	Rs. 1000	Rs. 5000
Surrender value after expiry of 3 Years but before expiry of 4 Years from date of issue . . .	11·70	58·50	117·00	585	1170	5850
Surrender value after expiry of 4 years but before expiry of 5 years from date of issue . . .	11·70	58·50	117·00	585	1170	5850
Surrender value after expiry of 5 years but before expiry of 6 years from date of issue . . .	13·20	66·00	132·00	660	1320	6600
Surrender value after expiry of 6 years but before expiry of 7 Years from date of issue . . .	13·20	66·00	132·00	660	1320	6600
After 7 complete years .	15·00	75·00	150·00	750	1500	7500

(b) Surrender values of 7-Year National Savings Certificates (II-Issue)—Bank Series purchased prior to the 23rd July, 1974 but encashed after the 23rd July, 1974 shall be at such rates as may be notified by the Government.

"(3) (a) The surrender values after adjustment discount, payable on discharge of 7-Year National Savings Certificates (III-Issue)—Bank Series of different denominations issued on or after the 23rd July, 1974, shall be as in the following Table, namely:—

TABLE

Surrender values of 7-Year National Savings Certificates (III-Issue) Bank Series

Face Value	Rs. 100	Rs. 1,000	Rs. 5,000
Surrender value after expiry of 3 years but before expiry of 4 years from date of issue	98·00	980·00	4900·00
Surrender value after expiry of 4 years but before expiry of 5 years from date of issue	98·00	980·00	4900·00
Surrender value after expiry of 5 years but before expiry of 6 years from date of issue	98·00	982·00	4910·00
Surrender value after expiry of 6 years but before expiry of 7 years from date of issue	98·00	982·00	4910·00
After 7 complete years	100·00	1000·00	5000·00

(b) Surrender values of 7-Year National Savings Certificates (II-Issue)—Bank Series purchased prior to the 23rd July, 1974 and encashed after the 23rd July, 1974 shall be at such rates as may be notified by the Government:

(4) (a) The surrender values, after adjustment of discount, payable on discharge of 7-Year National Savings Certificates (IV-Issue)—Bank Series of different denominations issued on or after the 23rd July, 1974 shall be as in the following table, namely:—

TABLE

Surrender values of 7-Year National Savings Certificates (IV-Issue) Bank Series

Face Value	Rs. 50	Rs. 100	Rs. 500	Rs. 1000	Rs. 5000
Surrender value after expiry of 3 years but before expiry of 4 years from date of issue	47·87	95·75	478·75	957·50	9575·00
Surrender value after expiry of 4 years but before expiry of 5 years from date of issue	47·87	95·75	478·75	957·50	9575·00
Surrender value after expiry of 5 years but before expiry of 6 years from date of issue	48·00	96·00	480·00	960·00	9600·00
Surrender value after expiry of 6 years but before expiry of 7 years from date of issue	48·00	96·00	480·00	960·00	9600·00
After 7 complete years . . .	50·00	100·00	500·00	1000·00	5000·00

(b) urrender values of 7 Year National Savings Certificates (IV-Issue)—Bank Series purchased prior to the 23rd July, 1974 and encashed after the 23rd July, 1974 shall be at such rates as may be notified by the Government.

3. For rule 26A of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"26A. **Interest.**—(1) Interest on 7-Year National Savings Certificates (III-Issue) Bank Series issued—before the 23rd July, 1974, shall be payable annually at 5 per cent upto the 23rd July, 1974 and at 6 per cent from the 23rd July, 1974.

(2) Interest on 7-Year National Sayings Certificates (IV-Issue) Bank Series shall be payable at the rates specified below at the end of each completed year—

(a) in respect of Certificates issued on and from the 16th March, 1970 upto the 14th January, 1971—7¼ per cent per annum;

(b) in respect of certificates issued on on after the 15th January, 1971 but before the 1st April, 1974—7¼ per cent per annum;

(c) in respect of Certificates issued on or after the 1st April, 1974 but before the 23rd July, 1974—8¼ per cent per annum;

(d) in respect of Certificates issued on or after the 23rd July, 1974—10¼ per cent per annum.

NOTE.—Certificates issued before the 23rd July, 1974 shall also be eligible for the higher rate of interest at 10¼ per cent per annum for the perlod commencing on and from the 23rd July, 1974.

[No. F. 2(17)-NS/74(i)]

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1974

सा० का० नि० 338(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 43) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत प्रमाण

पत्र (पांचवां निर्गम) नियम, 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाये हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का सरकारी बचत पत्र (दूसरा संशोधन) नियमावली, 1974 कहा जायगा ।

2. सरकारी बचत प्रमाण पत्र नियम 1965 (जिसे बाद में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 26 में उपनियम (2) से (4) तक के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

(2) (क) 23 जुलाई को या उसके बाद जारी किये जाने वाले विभिन्न मूल्यों के 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (दूसरा-निर्गम)—बैंक सर्टीफिकेट के भुनाये जाने पर (ब्याज सहित) जो रकम दी जायगी वह निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात् :

सारणी

7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (दूसरा-निर्गम) बैंक सर्टीफिकेट का भुनाने पर मूल्य

अंकित मूल्य	रु० 10	रु० 50	रु० 100	रु० 500	रु० 1000	रु० 5000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जारी करने की तारीख से 3 साल पूरे होने पर लेकिन 4 साल पूरे होने से पहले भुनाने पर मूल्य	11.70	58.50	117.00	585	1170	5850
जारी करने की तारीख से 4 साल पूरे होने के बाद लेकिन 5 साल पूरे होने से पहले भुनाने पर मूल्य	11.70	58.50	117.00	585.00	1170.00	5850.00
जारी करने की तारीख से 5 साल पूरे होने के बाद लेकिन 6 साल पूरे होने से पहले भुनाने पर मूल्य	13.20	66.00	132.00	660.00	1320.00	6600.00
जारी करने की तारीख से 6 साल पूरे होने के बाद लेकिन 7 साल पूरे होने से पहले भुनाने पर मूल्य	13.20	66.00	132.00	660.00	1320.00	6600.00
7 वर्ष पूरे होने के बाद	15.00	75.00	150.00	750.00	1500.00	7500.00

(ख) 23 जुलाई, 1974 से पहले खरीदे गये लेकिन 23 जुलाई, 1974 के बाद भुनाये गये 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (दूसरा-निर्गम) का भुनाने पर मूल्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार होगा ।

(2) (क) 23 जुलाई, 1974 को या उसके बाद जारी किये गये विभिन्न मूल्यों के 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (तीसरा-निर्गम) के भुनाने पर बट्टे की रकम काटने के बाद उनका मूल्य निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगा; अर्थात् :—

सारणी

7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों (तीसरा-निर्गम) बैंक सीरीज़ का भुनाने पर मूल्य

अंकित मूल्य	100 रु०	1,000 रु०	5,000 रु०
(1)	(2)	(3)	(4)
जारी करने की तारीख से 3 साल पूरे होने के बाद लेकिन 4 साल पूरे होने से पहले भुनाने पर मूल्य	98.00	980.00	4900.00
जारी करने की तारीख से 4 साल पूरे होने के बाद लेकिन 5 साल पूरे होने से पहले भुनाने पर मूल्य	98.00	980.00	4900.00
जारी करने की तारीख से 5 साल पूरे होने के बाद लेकिन 6 साल पूरे होने से पहले भुनाने पर मूल्य	98.00	982.00	4910.00
जारी करने की तारीख से 6 साल पूरे होने के बाद लेकिन 7 साल पूरे होने के पहले भुनाने पर मूल्य	98.00	982.00	4910.00
पूरे 7 साल बाद	100.00	1000.00	5000.00

(ख) 23 जुलाई, 1974 से पहले खरीदे गये और 23 जुलाई, 1974 के बाद भुनाये गये 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (तीसरा-निर्गम) बैंक सीरीज़ का भुनाने पर मूल्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार होगा।

4 (क) 23 जुलाई, 1974 को या उसके बाद जारी किए गये विभिन्न मूल्यों के 7-वर्षीय बचत प्रमाण पत्रों (चौथा-निर्गम)—बैंक सीरीज़ के भुनाये जाने पर उनका मूल्य बट्टे की रकम काटने के बाद निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगा अर्थात् :

सारणी

7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों (चौथा-निर्गम)—बैंक सीरीज का भुनाने पर मूल्य

अंकित मूल्य	50 रु०	100रु०	500रु०	1000रु०	5000 रु०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जारी करने की तारीख से 3 साल पूरे होने पर लेकिन 4 साल पूरे होने से पहले भुनाने पर मूल्य	47.87	95.75	478.75	957.50	9575.00
जारी करने के बाद 4 साल पूरे होने पर लेकिन 5 साल पूरे होने से पहले भुनाने पर मूल्य	47.87	95.75	478.75	957.50	9575.00
जारी करने के बाद 5 साल पूरे होने पर लेकिन 6 साल पूरे होने से पहले भनाने पर मूल्य	48.00	96.00	480.00	960.00	9600.00
जारी करने के बाद 6 साल पूरे होने पर लेकिन 7 साल पूरे होने से पहले भुनाने पर मूल्य	48.00	96.00	480.00	960.00	9600.00
7 साल पूरे होने के बाद	50.00	100.00	500.00	1000.0	5000.00

(ख) 23 जुलाई, 1974 से पहले खरीदे गये और 23 जुलाई, 1974 के बाद भुनाये गये 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (चौथा-निर्गम) बैंक सीरीज का भुनान पर मूल्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार होगा।

3. उक्त नियम के नियम 26क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाये; अर्थात् :—

"26क. ब्याज—(1) 23 जुलाई, 1974 से पहले जारी किये गये 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों (तीसरा-निर्गम) बैंक सीरीज पर 23 जुलाई, 1974 तक 5 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से और 23 जुलाई, 1974 के बाद 6 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से ब्याज दिया जायगा।

(2) 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (चौथा-निर्गम) बैंक सीरीज पर प्रत्येक साल पूरा होने के बाद नीचे निर्धारित दरों के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा —

(क) 16 मार्च, 1970 को और इस तारीख से 14 जनवरी, 1971 तक जारी किये गये बचत पत्रों के सम्बन्ध में —$7\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक ;

(ख) 15 जनवरी, 1971 को या उसके बाद लेकिन 1 अप्रैल, 1974 से पहले जारी किये गये बचत पत्रों के सम्बन्ध में $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक ।

(ग) 1 अप्रैल, 1974 को या उसके बाद लेकिन 23 जुलाई, 1974 से पहले जारी किये गये बचत पत्रों के सम्बन्ध में $8-\frac{3}{4}$ प्रतिशत वार्षिक ।

(घ) 23 जुलाई, 1974 को या उसके बाद जारी किये जाने वाले बचत पत्रों के सम्बन्ध में $10\frac{1}{4}$ प्रतिशत वार्षिक ।

टिप्पणी .—23 जुलाई, 1974 से पहले जारी किये गये बचत पत्रों पर भी 23 जुलाई, 1974 को या उस तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए $10\frac{1}{4}$ प्रतिशत वार्षिक की बढ़ी दर पर ब्याज मिलेगा ।

[सं० एफ० 2(17)-एन०एस०/74 (i)]

G.S.R. 339(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Certificates Rules, 1960, namely:—

1. These rules may be called the Post Office Savings Certificates (Third Amendment) Rules, 1974.

2. In rule 31 of the Post Office Savings Certificates Rules, 1960 (hereinafter referred to as the said rules), for sub-rules (2) and (3), the following sub-rules shall respectively, be substituted, namely:—

"(2) (a) The amounts (including interest) payable on discharge of 7-Year National Savings Certificates (II Issue) of different denominations issued on or after the 23rd July, 1974 shall be as in the following Table, namely.—

TABLE

Surrender values of 7-Year National Savings Certificates (II Issue)

Face Value	Rs. 10	Rs. 50	Rs. 100	Rs. 500	Rs. 1000	Rs. 5,000
Surrender value after expiry of 3 years but before expiry of 4 years from date of issue. . . .	11·70	58·50	117·00	585·00	1170·00	5850·00
Surrender value after expiry of 4 years but before expiry of 5 years from date of issue. . . .	11·70	58·50	117·00	585·00	1170·00	5850·00
Surrender value after expiry of 5 years but before expiry of 6 years from date of issue. . . .	13·20	66·00	132·00	660·00	1320·00	6600·00
Surrender value after expiry of 6 years but before expiry of 7 years from date of issue . . .	13·20	66·00	132·00	660·00	1320·00	6600·00
After 7 complete years	15·00	75·00	150·00	750·00	1500·00	7500·00

(b) Surrender values of 7 Year National Savings Certificates (II Issue) purchased prior to the 23rd July, 1974 but encashed after the 23rd July, 1974 shall be at such rates as may be notified by the Government.

(3) (a) The surrender values, after adjustment of discount payable on discharge of 7-Year National Savings Certificates (III Issue) of different denominations issued on or after the 23rd July, 1974 shall be as in the following Table, namely:—

TABLE

Surrender values of 7 Year National Savings Certificates (III Issue)

Face Value	Rs. 100	Rs. 1000	Rs. 5000
Surrender value after expiry of 3 years but before expiry of 4 years from the date of issue.	98·00	980·00	4900·00
Surrender value after expiry of 4 years but before expiry of 5 years from the date of issue.	98·00	980·00	4900·00
Surrender value after expiry of 5 years but before expiry of 6 years from the date of issue.	98·20	982·00	4910·00
Surrender value after expiry of 6 years but before expiry of 7 years from the date of issue.	98·20	982·00	4910·00
After 7 complete years.	100·00	1000·00	5000·00

(b) Surrender value of 7-Year National Savings Certificates (III-Issue)—purchased prior to the 23rd July, 1974 but encashed after the 23rd July, 1974 shall be at such rates as may be notified by the Government."

3. For rule 31C of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"31C. *Interest.*—(1) Interest on 7-Year National Savings Certificates (III Issue) issued prior to the 23rd July, 1974 shall be payable annually at 5 per cent upto the 23rd July, 1974 and at 6 per cent from the 23rd July, 1974.

(2) Interest on 7-Year National Savings Certificates (III Issue) issued on or after 23rd July, 1974 shall be payable annually at 6 per cent".

[No. F. 2(17)-NS/74(ii).]

सा० का० नि० 331 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा डाकघर बचत प्रमाण पत्र नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाये हैं; अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को डाकघर बचत पत्र (तीसरा संशोधन) नियमावली 1974 कहा जायेगा ।

2. डाकघर बचत-प्रमाण पत्र नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियम कहा जायेगा के नियम 31 में, क्रमशः उपनियम (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायगा, अर्थात् :—

"(2) (क) 23 जुलाई, 1974 को या उसके बाद जारी किये जाने वाले वि मूल्यों के 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (दूसरा निर्गम) के भुनाने पर ब्याज सहित, जो रकम दी जायगी वह निम्नलिखित सारणी के अ होगी, अर्थात्

सारणी

7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (दूसरा निर्गम) का भुनाने पर मूल्य

अंकित मूल्य	10 रुपये	50 रुपये	100 रुपये	500 रुपये	1000 रुपये	5000 रुपये
1	2	3	4	5	6	7
जारी करने की तारीख से 3 साल पूरे होने के बाद लेकिन 4 साल पूरे होने से पहले भुनाने पर मूल्य	11.70	58.50	117.00	585.00	1170.00	5850.00
जारी करने की तारीख से 4 साल पूरे होने पर लेकिन 5 साल पूरे होने से पहले भुनाने पर मूल्य	11.70	58.50	117.00	585	1170	5850
जारी करने की तारीख से 5 साल पूरे होने पर लेकिन 6 साल पूरे होने से पहले भुनाने पर मूल्य	13.20	66.00	132.00	660	1320	6600
जारी करने की तारीख से 6 साल पूरे होने पर लेकिन 7 साल पूरे होने से पहले भुनाने पर मूल्य	13.20	66.00	132.00	660	1320	6600
पूरे 7 साल के बाद	15.00	75.00	150.00	750	1500	7500

(ख) 23 जुलाई, 1974 से पहले खरीदे गये लेकिन 23 जुलाई, 1974 के बाद भुनाये गये 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (दूसरा निर्गम) बैंक सीरीज का भुनाने पर मूल्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार होगा।

"(3) (क) 23 जुलाई, 1974 को या उसके बाद जारी किये गये विभिन्न मूल्यों के 7-वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (तीसरा निर्गम) बैंक सीरीज के भुनाये जाने पर उनका मूल्य बट्टे की रकम काटने के बाद निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगा, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7
जारी करने की तारीख से 4 साल पूरे होने पर लेकिन 5 साल पूरे होने से पहले भुनाने पर मूल्य			98.00		980.00	4900.00
जारी करने की तारीख से 5 साल पूरे होने पर लेकिन 6 साल पूरे होने से पहले भुनाने पर मूल्य			98.20		982.00	4910.00
जारी करने की तारीख से 6 साल पूरे होने पर लेकिन 7 साल पूरे होने से पहले भुनाने पर मूल्य			98.20		982.00	4910.00
7 साल पूरे होने पर			100.00		1000.00	5000.00

(ख) 23 जुलाई, 1974 से पहले खरीदे गये लेकिन 23 जुलाई, 1974 के बाद भनाये जाने वाले 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (तीसरा निर्गम) का भुनाने पर मूल्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार होगा ।

3. उक्त नियम के नियम 31 ग के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायगा, अर्थात्:—

"31 ग ब्याज (1) 23 जुलाई, 1974 से पहले जारी किये गये 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (तीसरा निगम) पर दिये जाने वाले ब्याज की दर 23 जुलाई, 1974 तक 5 प्रतिशत वार्षिक और 23 जुलाई, 1974 से 6 प्रतिशत वार्षिक होगी ।

(2) 23 जुलाई, 1974 को या उसके बाद जारी किये गये 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों (तीसरा निर्गम) पर दिये जाने वाले ब्याज की दर 6 प्रतिशत वार्षिक होगी ।

[सं० एफ० 2(17) एन० एस०/74 (ii)]

G.S.R. 340(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (IV Issue) Rules, 1970, namely:—

1. These rules may be called the National Savings Certificates (IV Issue) (Second Amendment) Rules, 1974.

2. In rule 18 of the National Savings Certificates (IV Issue) Rules, 1970 (hereinafter referred to as the said rules), for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) A National Savings Certificate (IV Issue) is encashable at par after expiry of seven years from the date of its issue. At the option of the holder, a certificate may be encashed after expiry of three years

or five years from the date of its issue, in which even discounts at the rates set out below will be adjusted before making payment:—

(a) If the Certificate issued before the 1st April 1974 is encashed—

(i) after 3 years but before expiry of 5 years—Rs. 2 for every Rs. 100.

(ii) after 5 years but before expiry of 7 years—Rs. 1.50 for every Rs. 100.

(b) If the Certificate issued on or after the 1st April, 1974 but before the 23rd July, 1974—

(i) after 3 years but before expiry of 5 years—Rs. 2.25 for every Rs. 100.

(ii) after 5 years but before expiry of 7 years—Rs. 1.75 for every Rs. 100.

(c) If the Certificate issued on or after the 23rd July, 1974 is encashed—

(i) after 3 years but before expiry of 5 years—Rs. 4.25 for every Rs. 100.

(ii) after 5 years but before expiry of 7 years—Rs. 4.00 for every Rs. 100.

3. For rule 19 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"19. **Interest**—Interest shall be payable at the rates specified below at the end of each completed year, but no tax will be deducted at the time of payment of interest:—

(a) in respect of certificates issued on and from the 16th March, 1970 upto the 14th January, 1971—7½ per cent per annum;

(b) in respect of certificates issued on or after the 15th January, 1971 but before the 1st April, 1974—8 per cent per annum;

(c) in respect of certificates issued on or after the 1st April, 1974 but before the 23rd July, 1974—8¾ per cent per annum;

(d) in respect of certificates issued on or after the 23rd July, 1974—10½ per cent per annum.

NOTE.—Certificates issued before the 23rd July, 1974 shall also be eligible for the higher rate of interest at 10½ per cent per annum for the period commencing on and from the 23rd July, 1974."

[No. F. 2(17)-NS/74(iii)]

सा० का० नि० 340 (अ) —केन्द्रीय सरकार ने, सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, 1959 (1959 की 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (चतुर्थ निर्गम) नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाये हैं:—

1. इन नियमों को राष्ट्रीय बचत पत्र (चतुर्थ निर्गम) (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 कहा जाएगा।

2. राष्ट्रीय बचत-पत्र (चतुर्थ निर्गम) नियम, 1970 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 18 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जायगा, अर्थात्:—

(1) राष्ट्रीय बचत पत्र (चतुर्थ निर्गम) जारी होने की तारीख से सात वर्ष की समाप्ति के पश्चात सममूल्य पर भुनाया जा सकेगा। यह जारी होने से तीन वर्ष या पांच वर्ष

पूरे होने पर इच्छानुसार भुनाया जा सकेगा । ऐसी स्थिति में भुगतान करने से पहले रकम पर बाद में नीचे लिखी दरों पर काट लिया जाएगा:—

(क) अगर 1 अप्रैल, से 1974 से पहले जारी किया गया पत्र,

(i) 3 साल के बाद लेकिन 5 साल पूरे होने से पहले भुनाया जाता है—2 रुपये प्रति 100 रुपये ।

(ii) 5 साल के बाद लेकिन 7 साल पूरे होने से पहले भुनाया जाता है—1.50 रुपये प्रति 100 रुपये ।

(ख) अगर 1 अप्रैल, 1974 को या उसके बाद लेकिन 23 जुलाई, 1974 से पहले जारी किया गया पत्र,

(i) 3 साल के बाद लेकिन 5 साल पूरे होने से पहले भुनाया जाता है—2.25 रुपये प्रति 100 रुपये ।

(ii) 5 साल के बाद लेकिन 7 साल पूरे होने के पहले भुनाया जाता है—1.75 रुपये प्रति 100 रुपये ।

(ग) अगर 23 जुलाई, 1974 को या उसके बाद जारी किया गया पत्र,

(i) 3 साल के बाद लेकिन 5 साल पूरे होने से पहले भुनाया जाता है—4.25 रुपये प्रति 100 रुपये ।

(ii) 5 साल के बाद लेकिन 7 साल पूरे होने से पहले भुनाया जाता है—4.00 रुपये प्रति 100 रुपये ।

3. उक्त नियमों के नियम 19 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायगा, अर्थात्:—

"19—ब्याज—हर साल के पूरे होने पर ब्याज नीचे दी गयी दरों पर दिया जाएगा, लेकिन ब्याज की अदायगी करते समय किसी कर की रकम नहीं काटी जायगी:—

(क) 16 मार्च, 1970 को और इस तारीख से 14 जनवरी, 1971 तक जारी किये गये पत्रों पर $7\frac{1}{4}$ प्रतिशत सालाना ;

(ख) 15 जनवरी, 1971 को या इसके बाद लेकिन 23 जुलाई, 1974 से पहले जारी किये गये पत्रों पर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत सालाना ;

(ग) 1 अप्रैल, 1974 को या इसके बाद लेकिन 23 जुलाई, 1974 से पहले जारी किये गये पत्रों पर $8\frac{1}{4}$ प्रतिशत सालाना ;

(घ) 23 जुलाई, 1974 को या इसके बाद जारी किये गये पत्रों पर $10\frac{1}{4}$ प्रतिशत सालाना ।

टिप्पणी.—23 जुलाई, 1974 से पहले जारी किये गये पत्रों पर भी 23 जुलाई को या इस तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिये $10\frac{1}{4}$ प्रतिशत सालाना की बढ़ी हुई दर पर ब्याज मिलेगा ।

[सं० फा० 2(17)-एन० एम०/74 (iii)]

G.S.R. 341(E).—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (V Issue) Rules, 1973, namely:—

1. These rules may be called the National Savings Certificates (V Issue) (second Amendment) Rules, 1974.

2. In rule 26 of the National Savings Certificates (V Issue) Rules, 1973, for Table 'A' and 'B' below sub-rule (1), the following Table shall be substituted, namely:—

"TABLE

Surrender values of National Savings Certificates (V Issue) issued on or after 23rd July, 1974

Face Value	Amount (including interest) payable after completed year				
	3 Years	4 Years	5 Years	6 Years	7 Years
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Rs. 10	13·00	13·00	15·90	15 90	19·80
Rs. 50	65·00	65·00	79·50	79·50	99·00
Rs. 100	130·00	130·00	159·00	159·00	198·00

The surrender value of National Savings Certificates (V Issue) issued prior to the 23rd July, 1974 shall be at such rates as may be notified by the Government."

[No. F. 2(17)-NS/74(IV)]

B. MAITHREYAN, Jt. Secy.

सा० का० नि० 341(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (पांचवा निर्गम), नियम 1973 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाये है:—

1. इन नियमों को राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (पांचवा निर्गम) (दूसरा संशोधन), नियमावली, 1974 कहा जायगा ।

2. राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (पांचवा निर्गम) नियम, 1973 के नियम 26 में, उप-नियम (1) के नीचे की सारणी 'क' और 'ख' के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जायेगी, अर्थात्:—

"सारणी"

23 जुलाई, 1974 को या उसके बाद जारी किये गये राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों (पांचवा निर्गम) के भुनाने पर मूल्य

अंकित मूल्य	साल पूरे होने पर दी जाने वाली (ब्याज सहित) रकम				
	3 साल	4 साल	5 साल	6 साल	7 साल
1	2	3	4	5	6
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
10 रुपये	13.00	13.00	15.90	15.90	19.80

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50 रुपये	65.00	65.00	79.50	79.50	99.00
100 रुपये	130.00	130.00	159.00	159.00	198.00

23 जुलाई, 1974 से पहले जारी किये गये राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों (पांचवा निर्गम) के भुनाने पर मिलने वाला मूल्य सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार होगा ।

[सं० फा० 2(17)—एन० एस०/74 (iv)]

बी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1974